

25.09.2023

परिवादी द्वारा श्री महेन्द्र कुशवाह अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट तामील/ अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

परिवादी अधिवक्ता ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा यह प्रकरण दिनांक **22.06.2021** को प्रस्तुत किया गया है, दिनांक **29.06.2021** को प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत किया गया है। पूर्व में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समंस, जमानतीय वारण्ट व गिरफ्तारी वारंट भेजे गये हैं। अभियुक्त दिनांक **15.11.2022** को उपस्थित हुआ। पुनः दिनांक **18.04.2023** को आरोपी की अनुपस्थिति के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उक्त दिनांक से प्रकरण निरंतर अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है। अभियुक्त को दिनांक **10.05.2023, 27.06.2023, 24.08.2023** के आदेश के पालन में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ऐसी परिस्थितियों में यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त जानबूझकर तामीली से बच रहा है एवं कहीं फरार हो गया है तथा उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त **1.राकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. रामलखन शर्मा व्यवसाय-सेवानिवृत्त फौजी निवासी-केयर ऑफ शिरोमणि शर्मा ग्राम चंद्रपुरा ग्राम पंचायत किरतपुरा आईपीएस स्कूल के बगल से थाना**

देहात जिला भिण्ड म.प्र. की उपस्थिति हेतु धारा 70 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुरूप स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी करना उचित प्रतीत होता है।

अभियुक्त को लाल स्याही से स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे। अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट तामीली हेतु पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के माध्यम से भेजा जावे तथा वारंट पर यह टीप अंकित की जावे कि सम्बंधित थाना प्रभारी वारंट के निष्पादन ना होने तक/अभियुक्त की उपस्थिति या गिरफ्तारी सुनिश्चित ना होने तक वारंट प्राप्ति दिनांक से प्रत्येक दो माह में वारंट निष्पादन/अभियुक्त की तलाशी की कार्यवाही कर उसका प्रतिवेदन न्यायालय में नियमित रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करवायें। स्थाई वारंट प्राप्त करने की टीप आदेश पत्रिका के दाहिने हासिए पर ली जाए।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर प्रकरण सुरक्षित रखने हेतु लाल स्याही से टीप लगाई जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर विधिवत नस्तीबद्ध किया जाकर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में भेजा जावे।

(श्रीमती भावना सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर म0प्र0

